<u>न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०)</u> (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>फौज.प्रकरण</u>	<u>फ</u> .	479	<u>/ 09</u>
संस्थित दि:	07	/ 09	/ 09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी	केन्द्र 🥙 🕉	
बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)	4-6	अभियोगी

विरुद्ध

मगन पिता सद्दु मसराम, आयु 25 साल, जाति गोंड, साकिन डेंडवा थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

-:<u>: निर्णय :</u>:-

<u>(आज दिनांक 21/07/2014 को घोषित किया गया)</u>

- (01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, 506 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 02/09/2009 को दिन के 03:00 बजे, स्थान ग्राम डेंडवा थाना बैहर में फरियादिया सरस्वती मेरावी के मकान में जो मानव/सम्पत्ति की अभिरक्षा के काम में आता है, दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया सरस्वती मेरावी की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके गाल पर चांटा मारकर सीने पर हाथ लगाया एवं उसका मुंह पकड़ा तथा फरियादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से "मैं तेरे को चाहता हूँ" कहकर फरियादिया की एकातता का अतिक्रमण किया व फरियादिया सरस्वती मेरावी को जाने से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सरस्वती। बाई ने दिनांक 4/09/2009 को आरक्षी केन्द्र बैहर में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि दिनांक 2/09/2009 को समय दिन के 3:00 बजे आरोपी मगन ने उसे चिट्ठी पत्री भिजवाया जब उसने लेने से मना किया तो आरोपी मगन ने उसके घर में घुसकर उसका हाथ पकड़कर सीना दबाया वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़कर उससे कहा कि वह जान से खत्म कर देंगा। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना बैहर की पुलिस के द्वारा आरोपी मगन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 38/09, अन्तर्गत धारा 454, 354, 509, 506 भारतीय दण्ड संहिता का पंजीबद्ध कर, आरोपी को गिरफ्तार कर एवं आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, 506 के अंतर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- (03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, 506 का आरोप—पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

- (04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है।
- (05) आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :--
 - (अ) क्या आरोपी ने दिनांक 02/09/2009 को दिन के 03:00 बजे, स्थान ग्राम डेंडवा थाना बैहर में फरियादिया सरस्वती मेरावी के मकान में जो मानव/सम्पत्ति की अभिरक्षा के काम में आता है, दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
 - (ब) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आप आरोपी ने फरियादिया सरस्वती मेरावी की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके गाल पर चांटा मारकर सीने पर हाथ लगाया एवं उसका मुंह पकड़ा ?
 - (स) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आप आरोपी ने फरियादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से ''मैं तेरे को चाहता हूं'' कहकर फरियादिया की एकातता का अतिक्रमण किया ?
 - (द) क्या इसी दिनांक, समय व स्थान पर आप आरोपी ने फरियादिया सरस्वती मेरावी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—::<u>सकारण निष्कर्ष</u>::–

विचारणीय बिन्दु कमांक 'अ', 'ब' 'स' एवं 'द' :--

- (06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत् रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' 'स' एवं 'द' का एक साथ विचार किया जा रहा है।
- (07) अभियोजन साक्षी / फरियादिया सरस्वतीबाई (अ.सा.०1) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग चार माह पुरानी दिन के 03:00 बजे उसके घर की है। वह अपने घर में काम कर रही थी, पीछे के दरवाजे से खटखटाने के आवाज आई तो उसने दरवाजा खोला। आरोपी ने उससे कहा कि तू मुझे चाहती नहीं तो मैं तुझे और तेरे पित को खत्म कर दूंगा और उसे दो—तीन झापड़ मारे। आरोपी मारने के बाद अपने घर चला गया। वह उसके पित के डर के कारण उसके मायके चली गई और

उसके पिता को भैयालाल को घटना के संबंध में बताया। उसके बाद बैहर थाने में आकर घटना की रिपोर्ट की। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि दिनांक 02.09.2009 को आरोपी ने उसके घर के अंदर घुसकर उसका सीना दबाया। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया। साक्षी ने यह भी बतया कि आरोपी उससे गन्दी—गन्दी और प्यार करने वाली बाते लिखकर उसे पत्र भेजता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था।

- (08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी श्याम कुमार गायधने (अ.सा.06) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09.2009 को फरियादिया सरस्वती मेरावी के द्वारा प्रदर्श पी—1 की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आरोपी मगन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, 506 के तहत अपराध कमांक 38 / 09 के अन्तर्गत प्रदर्श पी—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की।
- (09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता धनीराम भैरम (अ.सा.03) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09. 2009 को अपराध क्रमांक 38 / 09 कि विवेचना के दौरान सरस्वती मेरावी की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। प्रार्थी सरस्वती बाई, गवाह भैयालाल, राजू, प्रमिला, रवि के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 07.09.2009 को गवाह लखनसिंह, रमेलाल के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 बनाया था।
- (10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी राजू मेरावी (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी हैं। घटना के बाद वह घर आया तो उसकी भाभी प्रमिला तथा सरस्वती के पिता ने उसे बताया था कि आरोपी ने आकर उसकी पित सरस्वती को मारा और कपड़े फाड़ने वाली बात भी बताई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि उसे सरस्वती के पिता ने बताया था कि चिट्ठी पतरी की बात को लेकर आरोपी ने उसके घर में घुसकर सरस्वती का हाथ पकड़ा एवं उसका सीना दबाया तथा जब उसने बाद में अपनी पित्त से पूछा कि घटना के समय उसे क्यों नहीं बताया तो उसने कहा कि डर के कारण उसने बात नहीं बतायी। उसने अपने मुख्यपरीक्षण में हाथ पकड़ने और सीना दबाने वाली बात याद नहीं आने के कारण नहीं बताई थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।
- (11) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भैयालाल (अ.सा.04) का कहना है कि उसकी लड़की सरस्वती ने उसे बताया कि आरोपी ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह बताया है कि आरोपी उसके घर में घुस कर दरवाजा बन्द कर उसका सीना दबाया।
- (12) किन्तु अभियोजन साक्षी परिमलाबाई (अ.सा.०५) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित

कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

- (13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। फरियादिया ने रंजिश वश झूठी रिपोर्ट की और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने रंजिश वश झूठे कथन किये है। जिसका अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी परिमलाबाई (अ.सा.05) ने आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।
- (14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।
- (15) अभियोजन साक्षी / फरियादिया सरस्वतीबाई (अ.सा.01) का स्पष्ट कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग चार माह पुरानी दिन के 03:00 बजे उसके घर की है। वह अपने घर में काम कर रही थी, पीछे के दरवाजे से खटखटाने के आवाज आई तो उसने दरवाजा खोला। आरोपी ने उससे कहा कि तू मुझे चाहती नहीं तो मैं तुझे और तेरे पति को खत्म कर दूंगा और उसे दो—तीन झापड़ मारे। आरोपी मारने के बाद अपने घर चला गया। वह उसके पति के डर के कारण उसके मायके चली गई और उसके पिता को भैयालाल को घटना के संबंध में बताया। उसके बाद बैहर थाने में आकर घटना की रिपोर्ट की। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने बताया कि दिनांक 02.09.2009 को आरोपी ने उसके घर के अंदर घुसकर उसका सीना दबाया। वह चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया। साक्षी ने यह भी बतया कि आरोपी उससे गन्दी—गन्दी और प्यार करने वाली बाते लिखकर उसे पत्र भेजता था और उसे जान से मारने की धमकी देता था। फरियादिया के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 से भी होती है। साक्षी के कथनों का प्रति परीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी श्याम कुमार गायधने (अ.सा.०६) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09.2009 को फरियादिया सरस्वती मेरावी के द्वारा प्रदर्श पी—1 की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आरोपी मगन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, 506 के तहत अपराध कमांक 38/09 के अन्तर्गत प्रदर्श पी—4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की। साक्षी के कथनों का प्रति परीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी / विवेचनाकर्ता धनीराम भैरम (अ.सा.03) का कहना है कि उसने दिनांक 04.09. 2009 को अपराध कमांक 38 / 09 कि विवेचना के दौरान सरस्वती मेरावी की निशादेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। प्रार्थी सरस्वती बाई, गवाह भैयालाल, राजू, प्रमिला, रिव के बयान उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 07.09.2009 को गवाह लखनसिंह, रमेलाल के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 बनाया था। साक्षी के कथनों का प्रति परीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

- (18) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी राजू मेरावी (अ.सा.02) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना के बाद वह घर आया तो उसकी भाभी प्रमिला तथा सरस्वती के पिता ने उसे बताया था कि आरोपी ने आकर उसकी पित्न सरस्वती को मारा और कपड़े फाड़ने वाली बात भी बताई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी का पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे सरस्वती के पिता ने बताया था कि चिट्ठी पतरी की बात को लेकर आरोपी ने उसके घर में घुसकर सरस्वती का हाथ पकड़ा एवं उसका सीना दबाया तथा जब उसने बाद में अपनी पित्न से पूछा कि घटना के समय उसे क्यों नहीं बताया तो उसने कहा कि डर के कारण उसने बात नहीं बतायी। उसने अपने मुख्यपरीक्षण में हाथ पकड़ने और सीना दबाने वाली बात याद नहीं आने के कारण नहीं बताई थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के कथनों का प्रति परीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (19) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी भैयालाल (अ.सा.04) का कहना है कि उसकी लड़की सरस्वती ने उसे बताया कि आरोपी ने उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उसके साथ छेड़छाड़ की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह बताया है कि आरोपी उसके घर में घुस कर दरवाजा बन्द कर उसका सीना दबाया तो उसने उसके पित को बताया। साक्षी के कथनों का प्रति परीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।
- (20) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी सरस्वतीबाई (अ.सा.01) एवं कायमीकर्ताश्याम कुमार गायधने (अ.सा.06), विवेचनाकर्ता धनीराम भैरम (अ.सा.03) तथा राजू मेरावी (अ.सा.02) व भैयालाल (अ.सा.04) के कथनों में ऐसा कोई गम्भीर विरोधाभास नहीं आया है, जिससे अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद कहा जाये और नहीं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन हुआ है। जिससे इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। मात्र साक्षी परमिलाबाई (अ.सा.05) के द्वारा अभियोजन का समर्थन नहीं करने से ही अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद हो जाता है। यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एक साक्षी का कथन भी विश्वसनीय हो तो अभियोजन का प्रकरण संदेहस्पद नहीं कहा जा सकता है। किन्तु आरोपी द्वारा दी गई धमकी से संत्रास कारित हुआ ऐसा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से परिलक्षित नहीं होता है।
- (21) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति—युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी मगन ने दिनांक 02/09/2009 को दिन के 03:00 बजे, स्थान ग्राम डेंडवा थाना बैहर में फरियादिया सरस्वती मेरावी के मकान में जो मानव/सम्पत्ति की अभिरक्षा के काम में आता है, दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया सरस्वती मेरावी की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके गाल पर चांटा मारकर सीने पर हाथ लगाया एवं उसका मुंह पकड़ा तथा फरियादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से ''मैं तेरे को चाहता हूं' कहकर

फरियादिया की एकातता का अतिक्रमण किया। किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी मगन ने फरियादिया सरस्वती मेरावी को जाने से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- (22) परिणाम स्वरूप आरोपी मगन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454, 354, 509, के अन्तर्गत दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- (23) प्रकरण में आरोपी मगन पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी मगन को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।
- (24) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थिगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

पुनश्च :-

- (25) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया।
- (26) आरोपी मगन के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी मगन का यह प्रथम अपराध है। आरोपी मगन की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी मगन मजदूर पेशा नवयुवक है। यदि उसे कारावास से दिण्डत किया जाता है तो उसको काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी मगन को कम से कम सजा एवं अर्थदण्ड से दिण्डत किया जावे।
- (27) आरोपी मगन के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।
- (28) प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- (29) आरोपी मगन की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी मगन ने दिनांक 02/09/2009 को दिन के 03:00 बजे, स्थान ग्राम डेंडवा थाना बैहर में फरियादिया सरस्वती मेरावी के मकान में जो मानव/सम्पित्त की अभिरक्षा के काम में आता है, दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया एवं फरियादिया सरस्वती मेरावी की लज्जा का अनादर करने के आशय से उसके गाल पर चांटा मारकर सीने पर हाथ

लगाया एवं उसका मुंह पकड़ा तथा फरियादिया की लज्जा का अनादर करने के आशय से ''मैं तेरे को चाहता हूं'' कहकर फरियादिया की एकातता का अतिक्रमण किया। आरोपी मगन द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी मगन को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। अतः आरोपी मगन द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी मगन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500 / — रूपये (अक्षरी रूपये पांच सौ) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं 500 / — रूपये (अक्षरी रूपये पांच सौ) व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 के आरोप में 500 / — रूपये (अक्षरी रूपये पांच सौ) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। आरोपी मगन को दी गई भारतीय दण्ड संहिता की धारा 454 के आरोप में 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में वी गई 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के आरोप में दी गई 06 माह के साधारण कारावास की सजा एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी मगन को एक—एक माह का साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

- (30) आरोपी मगन द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- (31) निर्णय की एक प्रति आरोपी मगन को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

लोई) (डी.एस.मण्डलोई) ग्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गाट (म.प्र.) बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)